छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्य परिषद की बैठक दिनांक ११ अप्रैल, १९९९ को सायं ४.०० बजे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया –

१.	डा० के०बी०पाण्डेय, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डा० एस०बी० मिश्रा, अधिष्ठाता कृषि संकाय, के०ए०डी०कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
३.	डा० ओ०पी० मिश्र,अधिष्ठाता कला संकाय,प्राचार्य,सी०जी०एन०कालेज,गोलागोकरन नाथ	सदस्य
४.	डा० एम० पी० सिन्हा, प्रोफेसर – अंग्रेजी विभाग, छ०शा०म० विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
५.	डा० आर०आर० शर्मा, रीडर, शिक्षा विभाग, छ०शा०म० विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
६.	डा० (श्रीमती) आशा श्रीवास्तव, प्राचार्या, एन०ए०के०पी० महाविद्यालय, फर्रूखाबाद	सदस्या
७.	डा० शिशुपाल सिंह भदौरिया, प्रवक्ता, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, छ०शा०म०वि०, कानपुर	सदस्य
८.	डा० एस०के०त्रिवेदी, अंग्रेजी विभाग, डी०ए०वी०कालेज, कानपुर	सदस्य
९.	डा० जी०एस०दुबे, गणित विभाग, वी०एस०एस०डी०कालेज, कानपुर	सदस्य
१०.	श्री जे०एन०रैना, वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य
११.	श्री बी०के०पाण्डेय कुलसचिव	सचिव

कार्य विवरण

सर्वप्रथम कुलपति जी ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया । कार्य परिषद् ने डा० ओ० पी० मिश्रा को कार्य परिषद् का सदस्य नियुक्त होने पर बधायी दी तथा निवर्तमान सदस्य डा० (श्रीमती) कमल द्विवेदी की सेवाओं की सराहना की ।

कार्य परिषद् ने विचारणीय मदों पर अग्रलिखित निर्णय लिया –

कार्य–परिषद् की विगत बैठक दिनांक १७ फरवरी, १९९९ के कार्य–वृत्त की सम्पुष्टि –

कार्य परिषद् ने विगत बैठक दिनांक १७ फरवरी, १९९९ में लिये गये निर्णय के कियान्वयन से अवगत होते हुए मद संख्या ४(च) में लिए गये निर्णय में संशोधन करते हुए निम्न निर्णय लिया –

कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि शिक्षकों के जो पद शासन द्वारा स्थायी रूप से सृजित कर दिये गये हैं उनके विरूद्ध अस्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी कर दिया जाय। यह भी निर्णीत हुआ कि जो पद शासन से स्थायी रूप से सृजित नहीं किये गये हैं उन्हें स्थायी रूप से सृजित करने हेतु शासन को पत्र लिखा जाय ।

कार्य परिषद् ने विगत बैठक दिनांक १७.२.९९ की कार्यवाही का सम्पुष्टीकरण किया ।

२. विश्वविद्यालय में सृजित परीक्षा नियन्त्रक के पद हेतु शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली में यथा स्थान संशोधन करने पर विचार –

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १६(क) के अन्तर्गत छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में परीक्षा नियन्त्रक की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १६(क) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या २०११/७०–१–६८–३५(३०)/६८ दिनांक २७ नवम्बर, १९६८ जारी कर सभी राज्य विश्वविद्यालयों

में परीक्षा नियन्त्रक की व्यवस्था कर दी गयी है। उक्त अधिनियम की धारा १६(अ)(३) के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति प्रकिया की व्यवस्था परिनियमावली में ही कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग–१ के पत्र संख्या ३८४४/सत्तर–१–६८–३५(३०)/६८ दिनांक ३ फरवरी, १६६६ द्वारा परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति प्रकिया की व्यवस्था परिनियमावली में करने हेतु परिनियमावली में यथा स्थान निम्न बिन्दुओं का समावेश करने का निर्देश प्राप्त हुआ है –

(१) परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति सेवा स्थानान्तरण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की संस्तुति पर की जायेगी । परीक्षा नियन्त्रक की संस्तुति एक चयन समिति द्वारा की जायेगी । चयन समिति में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कार्यपरिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति होंगे । कुलपति इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति निम्न श्रेणी के शिक्षकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करेंगी –

१– (क) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य

(ख) सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, जिन्होंने १५ वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो। चयन समिति तीन नामों का पैनल बनायेगी । कुलपति नामों के पैनल को राज्य सरकार के पास भेंजे ।

२–उपरोक्तानुसार धारा (१) के होते हुए भी राज्य सरकार, राज्य सरकार के अन्तर्राधीन प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें रू० १०,६५०–३२५–१५८५० वेतनमान में कार्य करने का अनुभव हो, को नियुक्त कर सकती है ।

३–परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्षो के लिए की जा सकती है । राज्य सरकार विश्वविद्यालय के हित में कुलपति की संस्तुति पर परीक्षा नियन्त्रक को निर्धारित अवधि से पूर्व हटा सकती है ।

४–परीक्षा नियन्त्रक की सेवा शर्ते जैसे जी०पी०एफ०, वेतन वृद्धि, अवकाश यात्रा भता इत्यादि उसी दर पर अनुमन्य होगा, जिस दर पर उनके अपने मूल विभाग में अनुमन्य है।

निर्णय लिया गया कि परिनियम में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाय।

४– विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार संख्या ३६०/७०–२–६६–१६(४५)/६८ दिनांक १६ फरवरी, १६६६ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम में प्राविधान किये जाने पर विचार –

प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग के पत्रांक ३६०/सत्तर–२–६६–१६(४५)/६८ दिनांक १६ फरवरी, १६६६ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम में अग्रलिखित प्रावधान करने का निर्णय लिया गया ।

Annexure-I

Scales of Pay

Designation	Existing Scales of pay	Revised Scales
University and College Teachers		
Lecturer	220-75-2800-100-400	8000-275-13500
Lecturer (Senior Scale)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
Lecturer(Sr.Grade)/Reader	3700-25-4950-150-5700	12000-420-18300
Professor	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
Principals of Colleges	(i) 3700-125-4950-150-5700	(i)1200-420-18300 (Minimum to be fixed at 12840)
	(ii)4500-150-570-200-7300	(ii) 16400-450-20900-500-22400 (Minimum to be fixed at 17300)
Vice-Chancellor	7600(fixed)	25000(fixed)
for Universities		
Librarian	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400
Dy. Librarian	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
Asstt. Librarian	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
for Colleges		
College Librarian	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
Demonstrator/Tutors	1740-60-2700-EB-75-3000	5500-175-9000

Sd/- L. P. Saxena
Under Secretary

Anexure-II

1. Scope of the Scheme :

This scheme applies to teachers in all State Universities/Colleges administered by the U.P. State Universities Act, 1973. The revision of pay scales of teachers will be subject to various provisions of pay scales and the Regulations to be framed by the UGC in this behalf. The revised pay scales and other provisions of the Schemes are as under.

2. Date of Effect :

The revised Scales of pay will be effective from January 1, 1996.

3- Scales of Pay :

(i)The revised scales of pay effective from January 1, 1996 are given in Annexure-I.

(ii)The revised sclaes of pay of Demonistrators/Tutors is for the existing incumbents only. No fresh recruitment shall be made to the centre of Demonstrators/Tutors after having fallen it vacant.

(iii) The fixation of pay of Lecturers (Selection Grade)/Readers in the pre-revised scale of Rs.3700-125-4950-150-5700 who were selected strictly in accordance with the rules and regulations framed by the UGC and who were in positions as Lecturers (Selection Grade)/ Readers as on 1.1.1996, will be made in a manner that they get their pay fixed at the minimum of Rs.14940/- in the revised scale of Rs.12000-420-18300 as and when they complete five years in the grade.

(iv) The pay of Readers and Professors who were in the pre-revised scales of Rs.3000-5000 and Rs.4500-5700 will be fixed at the appropriate stage of the revised scales of Rs.10000-125-15200 and Rs. 16400-450-20900-500-22400 respectively as on 1.1.1996.

4. Incentives for Ph.D./M.Phil.

(i) Four and two advance increments will be admissible to those who hold Ph.D. and

पाठ्य क्रम

M.Phil degrees, respectively at the time of recruitment as Lecturers.

(ii) One increment will be admissible to those teachers with M.Phil. who acquire Ph.D. within two years of recruitment.

(iii) A lecturer with Ph.D. will be eligible for two advance increments when he moves into Selection Grade as Reader.

(iv) A teacher will be eligible for two advance increments as and when he acquired a Ph.D. degree in his service career.

5. Career Advancement

(i) Minimum length of service for eligibility to move into the grade of Lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph.D., five years for those with M.Phil. and six years for others as a lecturer, and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

४(क)– महिला छात्रावास हेतु प्रयुक्त सामान्य, आर्थिक एवं अनुशासनिक नियमावली के अनुमोदन पर विचार –

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ एवं अद्यान्त संशोधित अधिनियम (तथा परिनियम) की धारा – ४७ (२अ एवं ब) के तारतम्य में धारा ५१(२)(ई) के अधीन विश्वविद्यालय के नियन्त्रण में संचालित महिला छात्रावास हेतु प्रयुक्त सामान्य, आर्थिक एवं अनुशासनिक नियमावली को कार्यपरिषद् में पृष्ठ संख्या – २ के प्रस्तर–४ के चौथे पंक्ति में छात्रावास अधीक्षिका के पूर्व "माननीय कुलपति जी की पूर्व अनुमति से" वाक्यांश प्रतिस्थापित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया ।

४(ख)– निर्माण समिति की बैठक दिनांक ३.४.९९ के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार –

कार्य परिषद् ने दिनांक ३.४.९९ को सम्पन्न निर्माण समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

४(ग)– बी०बी०ए० पाठ्यक्रम तथा पी०जी०डी०ई० पाठ्यक्रम हेतु आर्डिनेन्स, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा शुल्क के अनुमोदन पर विचार –

कार्य परिषद् ने पटल पर प्रस्तुत किये गये बी०बी०ए० एवं पी०जी०डी०ई० पाठ्यक्रम संचालन हेतु आर्डिनेन्स, पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली तथा शुल्क संरचना की धारा १३(६) के अन्तर्गत विद्या परिषद् को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुमोदन प्रदान किया ।

४(घ)– अध्यक्ष की अनुमति से वित्त समिति के एक सदस्य के मनोनयन हेतु प्रस्ताव आया ।

वित्त समिति में एक सदस्य के मनोनयन हेतु कार्य परिषद् ने माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया ।

कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(प्रो० के० दी० पाण्डेय)
अध्यक्ष / कुलपति

(बाल कृष्ण पाण्डेय)
सचिव / कुलसचिव